न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर

पीठासीन अधिकारी अमीलाल यादव
(आर.ए.एस.)

दिनांक:- 27/5/25

न.मु.- 76/25

1. खीवाराम पुत्र भागूराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम कोठीनडा तहसील बीदासर जिला चूरू
...............वादी

बनाम

1. अनिता पुत्री शिवभगवान जाति ब्रहम्ण निवासी ग्राम बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. अभिशेक जोशी पुत्र नारायण जाति ब्रहम्ण निवासी ग्राम बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. आत्माराम पुत्र मोटाराम जाति ब्रहम्ण निवासी ग्राम बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
4. ईशरराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी ग्राम नोड़िया तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0)
5. उषा जोशी पत्नि नारायण जाति ब्रहम्ण निवासी ग्राम बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
6. कमल पुत्र मोटाराम जाति ब्रहम्ण निवासी ग्राम बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0)
7. कालुराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी ग्राम गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0)
8. गिरधारीलाल पुत्र तुलछराम जाति ब्रहम्ण निवासी ग्राम बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
9. घासीराम पुत्र रामू राम जाति जाट निवासी ग्राम ढढेरु भाभुवान तहसील बीदासर जिला चूरू
10. छगनलाल पुत्र केशुराम जाति ब्रहम्ण निवासी ग्राम बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
11. जसोदा पुत्री मोटाराम जाति ब्रहम्ण निवासी ग्राम बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0)
12. जीतूबेन पत्नि शिवभगवान जाति ब्रहम्ण निवासी ग्राम बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
13. धानाराम पुत्र गोदूराम जाति जाट निवासी ग्राम बेरासर तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0)
14. नुपुर जोशी पुत्री नारायण जाति ब्रहम्ण निवासी ग्राम बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
15. निर्मला पुत्री मोटाराम जाति ब्रहम्ण निवासी ग्राम बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0)
16. प्रमोद पुत्र मोटाराम जाति ब्रहम्ण निवासी ग्राम बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0)
17. बृजलाल पुत्र सुरजाराम जाति ब्रहम्ण निवासी ग्राम बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
18. बीरबलराम पुत्र अर्जुनराम जाति जाट निवासी ग्राम रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0)
19. मनीष पुत्र शिवभगवान जाति ब्रहम्ण निवासी ग्राम बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0)
20. महेश कुमार पुत्र बृजलाल जाति ब्रहम्ण निवासी ग्राम बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

21. मिश्राराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी ग्राम बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0)

22. मोटाराम पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी ग्राम पारेवडा तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0)

23. राजकुमार पुत्र मोटाराम जाति ब्रहम्ण निवासी ग्राम बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

24. राधेश्याम पुत्र मोटाराम जाति ब्रहम्ण निवासी ग्राम बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

25. लीलादेवी पत्नि मोटाराम जाति ब्रहम्ण निवासी ग्राम बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

26. वीनिता पुत्री शिवभगवान जाति ब्रहम्ण निवासी ग्राम बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

27. सुखाराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी ग्राम बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0)

28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बीदासर (चूरू)

29. उप पंजीयक बीदासर (चूरू)

– प्रतिवादीगण

संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत रूप से विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा डिग्री प्राप्ति कर प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर।

उपस्थित :

1. विद्वान अधिवक्ता श्री दीनदयाल प्रजापत वादी की ओर से...
2. इकतरफा कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 ता 27
3. पैरोकार राज. प्रतिवादी संख्या 28 वा 29

– : निर्णय :–

दिनांकः– 15/7/25

प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है यह कि यह कि खेत खसरा नं. 104 तादादी 1.6061 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम घटियालबड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। उक्त खेत खसरा संयुक्त खोतदारी का है जिसमें खेत खसरा संख्या 104 में वादी उपयोग उपभोग खीवाराम पुत्र भागूराम 6/127 हिस्सा खातेदारी वर्तमान में दर्ज चली आ रही है। उपरोक्त खसरे का अभी तक विधीवत रुप से विभाजन नहीं हुआ है उपरोक्त खसरा में वादी व प्रतिवादीगण अपनी आपसी सहमती से मौखीक रुप से कृषि भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त खेतों का विधिवत रूप से अभी तक विभाजन नही हुआ है। उपरोक्त खेत अविभाजित संयुक्त खातेदार के रूप में दर्ज चला आ रहा है। जब तक विधिवत रूप से विभाजन नही हो जाता, तब तक प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है। जिसके मालिकाना अधिकारों की घोषणा करवाने का वादी कानूनी अधिकार रखता है। प्रतिवादीगणों को विभाजन हेतु कहा गया तो उन्होने विभाजन करने से साफ इन्कार कर

उपखण्ड अधिकारी,
बीदासर

दिया तथा जबकि जब तक विधिवत रूप से विभाजन नही हो जाता, तब तक प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है। वादगत भूमि मे वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है व वादी को उसके हक वा हिस्से की भूमि से महरूम करना चाहते है जबकि वादगत भूमि में वादी का अपने हक हिस्से की भूमि पर पुख्ता कब्जा उपयोग उपभोग व अधिकार चला आ रहा है। प्रतिवादियों को जरिये चिरनिषेधाज्ञा पावन्द फरमाये कि वादगत भूमि मे से वादी को उसके कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग की खातेदारी भूमि से बेदखल ना करे। ना ही अन्य कोई ऐसा कार्य करे जिससे वादी के वैध अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पड़े। बटवारे के मुताबिक खेत खसरा न. 104 तादादी 1.6061 हैक्टर है जिसमे वादी का उतरी–पुर्वी तरफ 6/127 नोखा रोड पर हिंस्सा पर कब्जा उपयोग उपभोग चला आ रहा है जिसमें वादी ने पक्का मकानात भी बना रखा है वादी अपने बटवारे के मुताबिक आये हक हिस्सा भूमि खेतों का विभाजन कराने का कानूनी अधिकारी है । वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि संयुक्त अविभाजित खेत का विभाजन करावा लेवें तो टालमटोल करते रहे दिनांक 25.5.2025 को साफ इन्कार हो गये। यही वाद हैतुक है। व विधिवत रूप से विभाजन करवाने का वादी को कानूनी अधिकार है। वादी का अलग हिस्सा कायम करवाना चाहता है वादी को वादाधार प्राप्त है। आदि आदि

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण 1 ता 29 को तलब किया गया तथा प्रतिवादीगण 1 ता 27 बावजूद तामिल अनुपस्थित होने से उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही को आदेश अमल में लाया गया। राज. पैरोकार ने राजहित नहीं जाहिर किया ।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतू कायम की गई वादी खींवाराम के बयान जरिये शपथ पत्र लेखबद्ध करवाये गये। दस्तावेज साक्ष्य में जमाबन्दी पी 1 खेत खसरा न. 104 , नजरी नक्शा प्रदर्श पी. 2, जो वादी ने विभाजन के समर्थ मे प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादी विभजान करवाना चाहता है । पत्रावली बहस हेतु कायम की गई।

बहस सुनी गई अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि वादी का वाद डिक्री दस्तावेज साक्ष्य में जमाबन्दी पी 1 खेत खसरा न. 104 , नजरी नक्शा प्रदर्श पी. 2, जो वादी ने विभाजन के समर्थ मे प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादी विभजान करवाना चाहता है । तथा वादी के वाद के आधार पर डिक्री किया जावे तथा घोषित किया जाये खेत खसरा नं. 104 तादादी 1.6061 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम घटियालबड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू जिला चूरू की संयुक्त खातेदारी की भूमि का वादी के हिस्से मे आई 6/127 उतरी–पुर्वी तरफ नोखा रोड पर विभाजन किया जाकर अलग खातेदारी वादीगण के नाम से राजस्व रिकोर्ड में खातेदारी दर्ज करवायी जाये । प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा वर्जित फरमाया जावे कि वादगत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

खेत खसरा नं. 104 तादादी 1.6061 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम घटियालबड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू जिला चूरू में स्थित है। जो कि संयुक्त अविभाजित खेत है। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कृत्य करे जिससे वादी के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग, उपभोग के वैध अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़े। प्रतिवादी सं. 28 तहसीलदार बीदासर को आदेशित फरमाया जावे कि मुताबिक निर्णय व डिकी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो दिलायी जावे।खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया व परिशिलन किया। वादपत्र के अनुतोष एवं प्रंस्तुत राजस्व रिकार्ड एवंम दस्तावेजों व साक्ष्य के आधार पर वादी व प्रतिवादीगण वादगत कृषि भूमि का विभाजन कराने के अधिकारी है और वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

— : आदेश : —

वादी का वाद के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है कि खेत खसरा नं. 104 तादादी 1.6061 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम घटियालबड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू जिला चूरू की संयुक्त खातेदारी की भूमि का वादी के हिस्से मे आई 6/127 हिस्सा भूमि का विभाजन मीटस एंड बाउंडस (Meets and bounds) व मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार किया जाकर अलग लगान कायम किया जाकर खाता अलग किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा वर्जित फरमाया जावे कि वादगत खेत खसरा नं. 104 तादादी 1.6061 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम घटियालबड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू जिला चूरू में स्थित है। जो कि संयुक्त अविभाजित खेत है। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कृत्य करे जिससे वादी के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग, उपभोग के वैध अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़े। मुकदमा खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगें। विभाजन प्रस्ताव हेतु प्रतिवादी संख्या 28 बीदासर तहसीलदार बीदासर के नाम आदेश जारी हो कि निर्णय वा डिक्री की पालना करें। इस हेतु अलग से लिखा जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 14-7-25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

प्रारम्भिक डिकी व मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जब्ता दावाना)

(Civil Procedure code, Appendix "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास श्रीगान अमीलाल यादव, आर. ए.एस.

खींवाराम बनाम अनिता आदि
दावा, विभाजन , चिरनिषेधाज्ञा आदि

न.मु.– 76/ सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हाजरी **श्री दीनदयाल प्रजापत** वकील मिनजानिब मुद्दई , पेरोकार राज मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रारम्भिक डिकी दी जाती है की वादी का वाद के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है खेत खसरा नं. 104 तादादी 1.6061 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम घटियालवडी तहसील बीदासर जिला चूरू जिला चूरू की संयुक्त खातेदारी की भूमि का वादी के हिस्से मे आई 6/127 हिस्सा भूमि का विभाजन मीटस एंड बाउंडस (Meets and bounds) व मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार किया जाकर अलग लगान कायम किया जाकर खाता अलग किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा वर्जित फरमाया जावे कि वादगत खेत खसरा नं. 104 तादादी 1.6061 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम घटियालवडी तहसील बीदासर जिला चूरू जिला चूरू में स्थित है। जो कि संयुक्त अविभाजित खेत है। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कृत्य करे जिससे वादी के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग, उपभोग के वैध अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़े। मुकदमा खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगें। विभाजन प्रस्ताव हेतु प्रतिवादी संख्या 28 बीदासर तहसीलदार बीदासर के नाम आदेश जारी हो कि निर्णय वा डिक्री की पालना करें। इस हेतु अलग से लिखा जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

चीज ......—...... मुबलिग ......—...... बाबत......—......
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह......—......फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ......—...... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख......14......माह ......7......2025 .

दस्तखत ......
उपखण्ड अधिकारी बीदासर
ओहदा......

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाई	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर ववतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान.			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट: खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर